निर्यात समस्याओं का ऑनलाइन समाधान

वाणिज्य मंत्रालय ने व्यापारियों के लिए शुरू की कोविड-19 हेल्पडेस्क

नई दिल्ली। वाणिज्य मंत्रालय ने आयात और निर्यात में आने वाली समस्याओं ऑनलाइन समाधान की सुविधा शुरू की है। मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि निर्यातकों या आयातकों को विदेशी व्यापार, कस्टम क्लीयरेंस या बैंकिंग मामलों में समस्या आती है, तो हेल्पडेस्क इसका समाधान करेगा।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने कहा, आयात-निर्यात से जुड़े सभी हितधारकों की समस्याओं की निगरानी के साथ तत्काल समाधान की कोशिश की जाएगी। किसी आयातक-निर्यातक को व्यापार में समस्या आ रही है, तो डीजीएफटी की वेबसाइट पर सूचना डाले। हेल्पडेस्क के जरिये आयात-निर्यात लाइसेंस, कस्टम क्लीयरेंस, दस्तावेज पूरे करने, भुगतान संबंधी समस्या अथवा व्यापार से जुड़ी अन्य परेशानी का तत्काल समाधान होगा। हेल्पडेस्क मंत्रालय या विभाग की एजेंसियों, केंद्र-राज्य सरकारों से जुड़ी व्यापार समस्याओं का भी समाधान करने की कोशिश करेगा। एजेंसी

समाधान होने पर आएगा संदेश

डीजीएफटी ने बताया कि हेल्पडेस्क सेवा के जरिये हितधारकों की शिकायतों की निगरानी की जाएगी। समाधान के बाद न सिर्फ उनका फीडबैक लिया जाएगा, बल्कि ई-मेल, एसएमएस के जरिये उन्हें अपडेट भी किया जाएगा।